उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

24 अक्टूबर, 2018 वर्ष 1, अंक 40

सात दिन – सात पृष्ठ

पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर शहीद पुलिसजनों को सलामी देते हुए।

- पुलिस के आधुनिकीकरण को बनेगा तीन सदस्यीय आयोग
- गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही सरकार
- मुख्यमंत्री का तोहफाः पुलिस विभाग में होंगी 56,880 भर्तियां
- कूड़ा प्रबंधन के लिए लगेंगे प्लांट, बिजली भी पैदा होगी
- इलाहाबाद उच्च न्यायालयः मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी. बी. भोसले सेवानिवृत्त
- राशन कार्डों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अतिरिक्त पृष्ठ पर होगा जिक्र

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश

पुलिस के आधुनिकीकरण को बनेगा तीन सदस्यीय आयोग

> **"पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया है। इसी कड़ी में वर्ष 2017 में 9,892 पुलिस कर्मियों को तथा वर्ष 2018 में कुल 37,575 पुलिस कर्मियों को प्रोन्नतियां प्रदान की गयी हैं, जो एक रिकॉर्ड है।"**
>
> **-योगी आदित्यनाथ**
> **मुख्यमंत्री**

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कर्तव्यपालन के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले पुलिसकर्मियों को पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि राज्य सरकार शहीदों के परिवारों के साथ है और उनके हित में सभी आवश्यक कदम उठा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल की कमी को दूर करने तथा कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए भर्तियों में तेजी लाने का कार्य कर रही है। वर्ष 2018 में घोषित परिणाम के अनुसार 29,303 पुलिस आरक्षी प्रशिक्षणरत हैं, जिनमें 5341 महिला आरक्षी, 20134 पुरुष आरक्षी तथा 3828 पीएसी के जवान भी हैं। इसके अतिरिक्त 42,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रचलित है। इनमें और तेजी लाने के लिए अगले चरण में 51,216 पुलिस कर्मियों की भर्ती का भी कार्यक्रम पुलिस भर्ती बोर्ड द्वारा घोषित किया गया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस बल से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर राज्य सरकार को अपनी संस्तुतियां उपलब्ध कराने के लिए पुलिस आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 03 सदस्यीय आयोग का गठन किया जायेगा। साइकिल भत्ते तथा वर्दी भत्ते के सम्बन्ध में वित्त आयोग की संस्तुतियां प्राप्त हो गई हैं। इन दरों में भी वृद्धि किये जाने पर शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा।

पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।

मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2019 के अन्त तक आरक्षी स्तर पर लगभग 1.25 लाख आरक्षियों की भर्ती पूर्ण होने से पुलिस बल में आरक्षियों की कमी लगभग समाप्त हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिसकर्मियों के मनोबल को बढ़ाने एवं उनकी कार्य संस्कृति को बेहतर बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा समयबद्ध प्रोन्नतियों पर विशेष बल दिया गया है। इसी कड़ी में वर्ष 2017 में 9,892 पुलिस कर्मियों तथा वर्ष 2018 में कुल 37,575 पुलिस कर्मियों को प्रोन्नतियां प्रदान की गयी हैं, जो एक रिकॉर्ड है।

प्रदेश में मात्र 5,793 आरक्षियों को प्रशिक्षित किये जाने के लिए संस्थागत ढांचा उपलब्ध है। इस क्षमता को दोगुना करने के लिए अवस्थापना सुविधाओं का सृजन कराया जायेगा। प्रशिक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों का भी सहयोग लिया जा रहा है। जालौन तथा सुल्तानपुर के प्रशिक्षण केन्द्र बनकर तैयार हैं, इन्हें शीघ्र चालू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस लाइन तथा थानों में समस्त सुविधाओं से सुसज्जित बैरकों के निर्माण के लिए धनराशि की व्यवस्था करेगी। ■

गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही सरकार: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित ग्रामीण आवासीय योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतिकरण किया गया। प्रस्तुतिकरण के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के विषय में उन्हें अवगत कराया गया कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस (एस0ई0सी0सी0)-2011 कराया गया था। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मानकों के अनुसार राज्यवार डेटा राज्य सरकारों को भेजा गया।

मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा भेजी गयी सूची में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 48 लाख लाभार्थी चिन्हित किये गये थे, जिनमें से लगभग 23.6 लाख लाभार्थी ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन के उपरान्त स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित किये गये। इनमें से लगभग 11 लाख लाभार्थियों को पिछले दो वर्षों में आवास स्वीकृत हो चुके हैं। 6.58 लाख अपात्र लाभार्थियों को सत्यापन के उपरान्त स्थायी पात्रता की सूची से हटा दिया गया है। वर्तमान 5.37 लाख लाभार्थी स्थायी पात्रता सूची में आवास हेतु शेष हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और वंचितों के हितों के लिए कटिबद्ध है और उनके उत्थान के लिए वह लगातार प्रभावी कदम उठा रही है।

प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री जी को प्रदेश में संचालित लाभार्थीपरक एवं कल्याणकारी योजनाओं का लाभ वंचित पात्र लोगों को उपलब्ध कराने हेतु कराये गये सर्वेक्षण के विषय में भी जानकारी दी गयी। इस सर्वेक्षण में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन, वृद्धावस्था/किसान पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन, अन्त्योदय राशन कार्ड, पात्र गृहस्थी राशन कार्ड, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना सम्मिलित हैं। हर योजना हेतु सर्वेक्षण की प्रश्नावली सम्बन्धित विभाग द्वारा बनायी गयी है। सर्वेक्षण कार्य 12 जुलाई, 2018 से अगस्त, 2018 के प्रथम सप्ताह के मध्य किया गया।

> **"प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 48 लाख लाभार्थी चिन्हित किये गये थे, जिनमें से लगभग 23.6 लाख लाभार्थी ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन के उपरान्त स्थायी पात्रता सूची में सम्मिलित किये गये। इनमें से लगभग 11 लाख लाभार्थियों को पिछले दो वर्षों में आवास स्वीकृत हो चुके हैं।"**
>
> -योगी आदित्यनाथ
> मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी अमौसी एयरपोर्ट पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह का स्वागत करते हुए।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के पार्थिव शरीर पर मुख्यमंत्री ने पुष्पचक्र अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री राम नाईक, विधानसभा अध्यक्ष श्री हृदय नारायण दीक्षित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा उप मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने विधान भवन में उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी के पार्थिव शरीर पर पुष्पचक्र अर्पित कर अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर प्रदेश सरकार के मंत्रिगण, सांसद डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्तियों ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी के पार्थिव शरीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि दी।

गौरतलब है कि श्री तिवारी के निधन पर प्रदेश में दिनांक 20 व 21 अक्टूबर, 2018 को राजकीय शोक की घोषणा की गयी थी। अपने शोक संदेश में मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के विकास और समृद्धि के लिए श्री तिवारी ने उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने उत्तराखण्ड के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। श्री तिवारी द्वारा इन राज्यों में अनेक कल्याणकारी एवं विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन किया गया, जिससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए। विकास पुरुष के रूप में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि केन्द्र सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कार्य करते हुए मृदुभाषी श्री तिवारी ने अपनी विशिष्ट शैली का परिचय दिया।

मुख्यमंत्री का तोहफा: पुलिस विभाग में होंगी 56,778 भर्तियां

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजय दशमी के मौके पर पुलिस में बंपर भर्ती का रास्ता खोला है। शासन ने गुरुवार को 56,778 पदों पर भर्ती कराये जाने की घोषणा की है, जिसमें सिपाही के 51,216 पद शामिल हैं। इसके अलावा फायरमैन, बंदीरक्षक व घुड़सवार पुलिस के पदों पर भी भर्तियां होंगी। सिपाही भर्ती का आवेदन एक नवंबर से किया जा सकेगा और जनवरी माह में लिखित परीक्षा होगी। प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने प्रेसवार्ता कर सभी पदों पर भर्ती का कार्यक्रम घोषित किया है। वर्तमान में पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर करीब 42 प्रतिशत रिक्तियां हैं। नई भर्तियों के बाद यूपी पुलिस में अवकाश व लंबी ड्यूटी की समस्या निपटने की उम्मीद जताई जा रही है।

प्रमुख सचिव गृह ने बताया कि भर्ती में कोई साक्षात्कार नहीं होगा। आरक्षण के सभी नियम लागू होंगे। पुलिस विभाग में सिविल पुलिस व पीएसी में कुल स्वीकृत दो लाख 29 हजार से अधिक पदों में करीब 97 हजार पद रिक्त हैं। मुख्यमंत्री के सिपाहियों की कमी को जल्द पूरा किये जाने के निर्देश पर 51,216 पुलिस आरक्षियों की जल्द नई भर्ती का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत 32 हजार पदों पर सिविल पुलिस के आरक्षियों तथा 19,216 पदों पर पीएसी आरक्षियों की नई भर्ती की जायेगी। ऐसे ही फायरमैन के कुल स्वीकृत 5040 पदों में 1924 पद रिक्त हैं। इनमें 1679 पदों पर भर्ती का अधियाचन उप्र पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को भेजा जा चुका है। शेष पदों का अधियाचन जल्द भेजा जायेगा और फायरमैन के 1924 पदों की भर्ती परीक्षा करायी जायेगी। वहीं कारागार प्रशासन में बंदी रक्षकों के कुल स्वीकृत पदों के अनुरूप करीब 50 प्रतिशत की रिक्तता चली आ रही है। बंदी रक्षकों के 3638 पदों पर भर्ती होगी, जिनमें महिला बंदी रक्षक के 626 पद शामिल होंगे। इसके अलावा घुड़सवार पुलिस के 102 पदों पर भर्ती होगी।

तारीखें:

सिपाही भर्ती: एक नवंबर से 30 दिसंबर, 2018 के मध्य अभ्यर्थी कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। चार और पांच जनवरी, 2019 को दो-दो पालियों में होगी लिखित परीक्षा। परिणाम जून, 2019 के तीसरे सप्ताह तक घोषित होगा।

फायरमैन भर्ती: पांच नवंबर से चार दिसंबर, 2018 के बीच होगा ऑनलाइन आवेदन। 10 जनवरी, 2019 को होगी परीक्षा। जुलाई, 2019 में आयेगा परिणाम।

बंदी रक्षक भर्ती: पांच नवंबर से चार दिसंबर, 2018 के मध्य ऑनलाइन आवेदन। आठ व नौ जनवरी, 2019 को होगी परीक्षा। जुलाई, 2019 में आयेगा परिणाम। इसी परीक्षा के साथ घुड़सवार पुलिस की भी होगी परीक्षा। ■

प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जनता हो रही है लाभान्वित: प्रो. रीता बहुगुणा जोशी

महिला एवं परिवार कल्याण मंत्री प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य एक अहम और शीर्ष प्राथमिकता का विषय है। सरकार ने इस दृष्टि से कई योजनाएं चलाई है, इसके लिए सामाजिक जागरूकता और भागीदारी भी आवश्यक है। प्रो0 जोशी ने यह बात ग्लोबल हेल्थ स्ट्रेटजीज़ संस्था द्वारा 'बिल्डिंग हेल्दियर यूपी' आरएमएनसीएचए (रीप्रोडक्टिव मैटरनल न्यू बार्न चाइल्ड हेल्थ एवं एडोलमेंट) और पोषण संगोष्ठी में कही।

प्रो0 जोशी ने कहा कि भारत एक विकासशील देश है। उन्होंने कहा प्रदेश में गतवर्षों में जापानी इन्सेफ्लाइटिस से होने वाली बड़ी संख्या में मृत्यु को इस वर्ष हमने सफल टीकाकरण से काबू करके सफलता हासिल कर ली है। आज लगभग साढ़े चार लाख आंगनबाड़ी और आशा बहुएं सुदूर ग्रामों तक माताओं और शिशुओं के स्वास्थ्य योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। उन्होंने संगोष्ठी में परिवार कल्याण विभाग द्वारा इस दिशा में चलाई जा रही विविध योजनाओं की जानकारी भी दी।

इस अवसर पर स्वास्थ्य तंत्र को सुदृढ़ बनाने के विषय में पैनल डिस्कशन भी हुआ। पैनल डिस्कशन में संगोष्ठी में आमंत्रित आबकारी एवं मद्यनिषेध मंत्री श्री जय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार के बेहतर प्रयासों से जापानी इन्सेफ्लाइटिस पर प्रभावी नियंत्रण, नवजात एवं प्रसूता, मातृ स्वास्थ्य के देखभाल की मॉनीटरिंग व्यवस्था, सुदूर ग्रामों तक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के निरन्तर प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं से जनता लाभान्वित हो रही है। महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विमला बाथम ने पैनल में महिलाओं के स्वस्थ और आत्म निर्भर होने के विषय में विचार व्यक्त किये।

संगोष्ठी में श्री जयंत कृष्णा, कार्यकारी निदेशक और मुख्य संचालक अधिकारी-राष्ट्रीय कौशल विकास निगम तथा सुश्री अंजलि नय्यर कार्यकारी उपाध्यक्ष ग्लोबल हेल्थ मिशन स्ट्रेटजीज़ ने प्रदेश और राष्ट्र स्तर पर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, मृत्यु दर, कुपोषण जैसे विषयों पर समीक्षात्मक विचार व्यक्त किए। ■

निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था/ किसान तथा दिव्यांगजन पेंशन के तहत पाए गए पात्र एवं छूटे हुए लाभार्थी होंगे लाभान्वित

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने जनपदवार सर्वेक्षण में पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिलाओं को पेंशन, वृद्धावस्था/किसान पेंशन तथा दिव्यांगजन पेंशन के तहत पाए गए पात्र एवं छूटे हुए/वंचित लाभार्थियों को योजना से लाभान्वित किए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों और बेसहारा लोगों के हित में कार्य कर रही है। उल्लेखनीय है कि जनपदों के भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री जी को यह जानकारी मिली थी कि इन योजनाओं के तहत काफी संख्या में पात्र लोग लाभान्वित होने से वंचित रह गए हैं। जिसके क्रम में मुख्यमंत्री जी ने ग्राम सभा की बैठक के दौरान ऐसे लोगों को चिन्हित कर उनका सत्यापन करने के उपरान्त लाभान्वित करने के निर्देश दिए थे। जनपदवार सर्वेक्षण में 3 लाख 96 हजार 269 निराश्रित महिलाओं को चिन्हित किया गया है, जिन्हें निराश्रित पेंशन से लाभान्वित किया जाएगा। इसी प्रकार वृद्धावस्था/किसान पेंशन के तहत 09 लाख 4 हजार 609 को चिन्हित किया गया है, जिन्हें वृद्धावस्था/किसान पेंशन से लाभान्वित किया जाएगा। दिव्यांगजन पेंशन के तहत 01 लाख 20 हजार 661 लाभार्थियों को चिन्हित किया गया है, जिन्हें दिव्यांगजन पेंशन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इन सभी पेंशन योजनाओं के तहत चिन्हित 14 लाख 21 हजार 539 नये लाभार्थियों के फॉर्म भरवाकर उनका सत्यापन करने के उपरान्त पात्र पाये गये सभी व्यक्तियों को योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा।

कूड़ा प्रबंधन के लिए लगेंगे प्लांट बिजली भी पैदा होगी: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि राज्य सरकार नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए प्रतिबद्ध है। इस सम्बन्ध में नीति प्रख्यापित की जा चुकी है। राज्य सरकार की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत पी0पी0पी0 मॉडल पर कार्य करने की इच्छुक कम्पनियों को प्रदेश में प्लाण्ट स्थापित किए जाने के लिए सुविधाएं मुहैया करायी जाएंगी।

उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 के सफल आयोजन के बाद से निजी निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए लगातार आकर्षित हो रहे हैं। निवेशकों के लिए राज्य सरकार सुविधाएं प्रदान कर रही है।

प्रदेश में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्ट स्थापित करने की इच्छुक कम्पनियों की परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रस्तुतिकरण के अवसर पर मुख्यमंत्री अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर्स समिट-2018 के सफल आयोजन के बाद से निजी निवेशक प्रदेश में निवेश के लिए लगातार आकर्षित हो रहे हैं। निवेशकों के लिए राज्य सरकार सुविधाएं प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन से 'स्वच्छ भारत मिशन' को सहायता मिलेगी। साथ ही, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्टों की स्थापना से ऊर्जा भी उपलब्ध हो सकेगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लाण्ट स्थापित करने की इच्छुक कम्पनियों के प्रस्तुतिकरण का अवलोकन किया। इस प्रस्तुतिकरण में पांच कम्पनियों ने भाग लिया। ये कम्पनियां थीं - जी0सी0, आई0एल0 एण्ड एफ0एस0, ए0जी0 डॉटर्स, ए0आर0 चैलेंजेज़ तथा इनोवेटिव इण्डस्ट्रियल चैलेंजेज़। इन कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने अपनी परियोजनाओं के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने इन परियोजनाओं की व्यावहारिकता और संभाव्यता के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त आवश्यक कार्यवाही किए जाने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

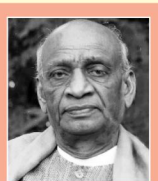

'सरदार पटेल' के जन्म दिवस पर लेंगे 'राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ'

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने आगामी 31 अक्टूबर, 2018 को प्रदेश भर में 'सरदार वल्लभभाई पटेल' के जन्म दिवस को 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि आगामी 31 अक्टूबर को सभी कार्यालयों में राष्ट्रीय एकता दिवस पर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की शपथ पूर्वान्ह 11:00 बजे समस्त कर्मियों द्वारा ली जायेगी। यह भी निर्देश दिये कि विद्यालयों में प्रार्थना के समय छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों द्वारा 'राष्ट्रीय एकता दिवस' की शपथ ली जायेगी। मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिये हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी एवं मार्च पास्ट के कार्यक्रम भी आयोजित कराए जाएं।

उत्तर प्रदेश के हर पात्र छात्र को मिलेगा वजीफा

वजीफे के लिए 177 करोड़ रुपये राज्यांश को शीघ्र ही जारी किए जाने के निर्देश

वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति 2,250 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 3,000 रुपये की गयी है

मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति वजीफा/पेंशन योजनाओं के लाभ से वंचित न हो। नए चिन्हित लाभार्थियों की पात्रता को सुनिश्चित करते हुए उन्हें भी योजनाओं का लाभ शीघ्रता से प्रदान किया जाए।

मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण एवं जनजाति विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभागों से सम्बन्धित छात्रवृत्ति, पेंशन एवं अनुदान योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। राज्य सरकार छात्रवृत्ति, वृद्धावस्था, किसान पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह, अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के निर्धन व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान, दिव्यांगजन पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन आदि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की शिथिलता व लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए वर्ष 2017-18 की वांछित अवशेष राज्यांश 177 करोड़ रुपये को शीघ्र ही जारी किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि छात्रवृत्ति वितरण में किसी भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति वितरण के लिए पहली किस्त 2 अक्टूबर, 2018 तक वितरित की जानी थी, जिसे पूरा कर दिया गया है। दूसरी किस्त 26 जनवरी, 2019 तक हर हाल में वितरित कर दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रवृत्ति की आय सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 2.50 लाख रुपये की गयी है। वर्ष 2018-19 में अनुसूचित जाति/जनजाति पूर्वदशम छात्रवृत्ति 2,250 रुपये वार्षिक से बढ़ाकर 3,000 रुपये की गयी है। वर्ष 2016-17 में पूर्व सरकार के कार्यकाल में 20.88 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी थी। वर्तमान सरकार में वर्ष 2017-18 में 23 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति दी गयी तथा वर्ष 2018-19 में 25 लाख से अधिक छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का निर्णय लिया गया है।

मुख्यमंत्री ने नवीनीकरण के सभी अवशेष पात्र छात्रों को 15 नवम्बर, 2018 तक धनराशि वितरित किए जाने के निर्देश दिए। वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पूर्व सरकार में वर्ष 2016-17 में 36.52 लाख वृद्धजनों को 1748 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गयी थी और वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में 37.47 लाख वृद्धजनों को 1,783 करोड़ रुपये की पेंशन वितरित की गयी। वर्ष 2018-19 में वर्तमान सरकार द्वारा 40 लाख से अधिक पेंशनरों को 1,952 करोड़ रुपये की धनराशि पेंशन के रूप में वितरित किया जाना सम्भावित है। अत्याचार से प्रभावित अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना के तहत पूर्व सरकार के कार्यकाल में वर्ष 2016-17 में केवल 47.74 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता वितरित की गयी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल वर्ष 2017-18 में 151 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता का वितरण किया गया, जिसमें पूर्व सरकार के कार्यकाल के लम्बित प्रकरण भी सम्मिलित थे।

आवश्यकतानुसार जिलाधिकारियों को टी0आर0-27 से धनराशि आहरित कर वितरित कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसके लिए शासनादेश निर्गत किया जा चुका है। वर्तमान सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना के माध्यम से गत वर्ष 14,580 सामूहिक विवाह कराए गए। वर्तमान वर्ष 2018-19 में अभी तक 6,361 सामूहिक विवाह कराए जा चुके हैं। नवम्बर, 2018 में एक ही दिन 10,000 सामूहिक विवाह कराया जाना प्रस्तावित है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी0बी0 भोसले की विदाई के अवसर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आयोजित फुल कोर्ट रिफरेंस

इलाहाबाद उच्च न्यायालयः मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति डी. बी. भोसले सेवानिवृत्त

मा0 इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिलीप बाबा साहेब भोसले ने उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ की गौरवशाली इतिहास एवं समृद्ध परम्पराओं की सराहना करते हुए कहा कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने दायित्वों को कुशलतापूर्वक निर्वहन करने में यहां के बेंच और बार के सदस्यों का प्रमुख योगदान रहा। उन्होंने न्याय प्रशासन से संबंधित संसाधनों के सुदृढ़ीकरण एवं न्यायालयों में रिक्त पदों को भरे जाने पर जोर देते हुए कहा कि न्याय की आशा रखने वाले हितग्राहियों का हित संरक्षित किया जाना चाहिए।मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय इलाहाबाद के लखनऊ पीठ में आयोजित अपने विदायी कार्यक्रम में "फुलकोर्ट रिफरेन्स" के समापन अवसर पर संबोधित कर रहे थे। मुख्य न्यायाधीश ने इस अवसर पर अपने निजी स्टाफ खासतौर से श्री कृष्ण गोपाल सिंह, श्री संजय कश्यप, श्री अतुल कश्यप व अन्य कर्मियों के अलावा निजी सुरक्षा अधिकारी श्री ब्रह्मानन्द, श्री राजेश, राजीव सिंह व अन्य सुरक्षा कर्मियों को धन्यवाद दिया।

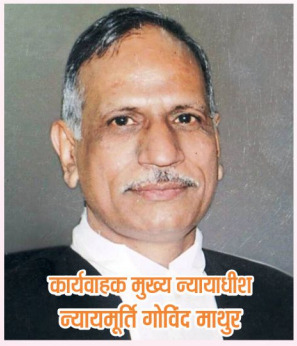
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश
न्यायमूर्ति गोविंद माथुर

इसके पूर्व अपने सम्बोधन में वरिष्ठ न्यायमूर्ति विक्रम नाथ ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी.बी. भोसले ने अपने कार्यकाल के दौरान विधिक सहायता से वंचित लोगों की चिन्ता की और उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया। अवध बार एसोशिएशन, एल्डर्स कमेटी के चेयरमैन श्री एस.के. कालिया ने अपने सम्बोधन में मा0 मुख्य न्यायाधीश भोसले के योगदान तथा विभिन्न पदों पर रहते हुए सफलतापूर्वक अपने दायित्वों के निर्वहन पर विस्तार से प्रकाश डाला। महाधिवक्ता श्री राघवेन्द्र सिंह ने इस अवसर पर बोलते हुए कहा कि न्यायमूर्ति भोसले स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पृष्ठभूमि से आते हैं। उनके पिताश्री बैरिस्टर बाबा साहब भोसले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उनके परिवार के अन्य सदस्य उच्च शिक्षण संस्थाओं से जुड़े रहे और इसका प्रभाव न्यायमूर्ति भोसले पर पड़ा। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने उच्च न्यायालय तथा अधीनस्थ न्यायालयों में लम्बित मुकदमों के तेजी से निस्तारण के प्रयास किये। इसके अलावा उन्होंने न्यायालय के बैठने के समय में बढ़ोत्तरी, लोक अदालतों के माध्यम से मुकदमों का निस्तारण तथा जजों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया। इसके साथ ही उन्होंने वैकल्पिक विवाद निस्तारण के लिए संसाधनों में बढ़ोत्तरी पर विशेष ध्यान दिया। उनके कार्यकाल के दौरान कुल 9133 आपराधिक अपीलों का निस्तारण हुआ।भारत के असिस्टेन्ट सालिसिटर जनरल श्री एस.बी. पाण्डेय ने भारत सरकार और समस्त अधिवक्ताओं की ओर से न्यायमूर्ति भोसले के कार्यकाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि न्यायमूर्तियों के चयन में उन्होंने पूर्ण पारदर्शिता एवं निष्पक्षता का परिचय दिया। इस अवसर पर न्यायाधीशगण व जज प्रमुख सचिव, विधि व एल.आर. श्री डी.के. सिंह, मण्डलायुक्त श्री अनिल गर्ग, अधिवक्तागण, जिलाधिकारी लखनऊ श्री कौशलराज शर्मा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री कलानिधि नैथानी के अलावा अन्य अतिथिगण उपस्थित थे। ■

राशन कार्डों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का अतिरिक्त पृष्ठ पर होगा जिक्र

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में लाभार्थियों के राशन कार्ड में विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं जैसे किसान ऋण मोचन योजना, स्वच्छ भारत योजना के तहत शौचालय निर्माण, सौभाग्य योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना इत्यादि का उल्लेख किये जाने के संबंध में 'ग्राम उदय' योजना का प्रस्तुतिकरण देखा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थियों को वितरित किये गये राशन कार्डों में इस बात का भी जिक्र किया जाए कि उन्हें सरकार द्वारा संचालित किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने निर्देश दिये कि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 प्रमुख योजनाओं को शामिल करते हुए राशन कार्ड में एक अतिरिक्त पृष्ठ पर इन योजनाओं का उल्लेख करते हुए पात्र व्यक्तियों को लाभ दिये जाने की स्थिति का जिक्र किया जाए। इससे प्रथम दृष्टया यह पता लग सकेगा कि किस लाभार्थी को किन-किन योजनाओं का लाभ मिल रहा है।

मुख्यमंत्री जी के समक्ष 'ग्राम उदय' योजना पर प्रस्तुतिकरण देते हुए मुख्य सचिव डॉ. अनूप चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि प्रारम्भ में इसके लिए खाद्य, समाज कल्याण, महिला कल्याण, पंचायतीराज, राजस्व, स्वास्थ्य, आवास, कृषि, पिछड़ा वर्ग तथा जल निगम द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का डाटा उनके पोर्टल से आधार नम्बर से ए0पी0आई0 के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। इस कार्य के लिए इन सभी विभागों द्वारा संचालित लाभार्थीपरक योजनाओं में लाभार्थियों के आधार नम्बर फीड कराने होंगे।

मुख्य सचिव ने अवगत कराया कि इसके उपरान्त मण्डल, जनपद, तहसील, परगना, मजरा, राजस्व ग्राम, ग्राम पंचायत, विकास खण्ड, विधान सभा क्षेत्र, लोक सभा क्षेत्र तथा थानों को यूनीक कोड देकर आपस में मैपिंग की जाएगी। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि इसके तहत किसान ऋण मोचन नॉन एन0पी0ए0, किसान ऋण एन0पी0ए0, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, राशन कार्ड यूनिट, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, शौचालय (स्वच्छ भारत योजना), धान खरीद, विधवा पेंशन, बीज अनुदान योजना, छात्रवृत्ति दशमोत्तर, छात्रवृत्ति पूर्वदशम, वृद्धावस्था पेंशन, स्वायल हेल्थ कार्ड, दिव्यांग पेंशन, भू-अभिलेख कुल खातेदार, के0सी0सी0 कार्ड, आयुष्मान भारत योजना, मत्स्य पालन हेतु पट्टा इत्यादि को शामिल किया जा सकता है, जिसके लिए लाभार्थियों के आधार नम्बर सम्बन्धित योजना के तहत फीड कराने होंगे। मुख्यमंत्री जी ने इस कार्य को शीघ्र सम्पादित करने के निर्देश दिए।

अधूरे कार्यों को मार्च 2019 से पहले हर-हाल में पूरा करने के ऊर्जा मंत्री के निर्देश

ऊर्जा मंत्री श्री श्रीकान्त शर्मा ने 2019-20 की विद्युत मांग एवं आपूर्ति क्षमता पर निर्धारित कार्ययोजना के अधूरे कार्यों को मार्च 2019 से पहले हर-हाल में पूरा करने के निर्देश दिये। शक्ति भवन में उ. प्र. पावर कारपोरेशन के शीर्ष अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने आगामी वर्षों की जरूरतों को देखते हुए ग्रिड की निर्धारित क्षमता को 24000 मेगावाट तक बढ़ाने तथा टी.टी.सी. लेवल को 12500 मेगावाट करने के निर्देश दिये। ऊर्जा मंत्री ने सभी विद्युत उत्पादन प्लांटों में सुरक्षा के दृष्टिगत डिडक्शन ऑफ फायर, सीसीटीवी कैमरा व सुरक्षा उपकरण 20 दिन के भीतर लगाने के निर्देश दिये। साथ ही सभी प्लाण्टों तथा यहां कार्यरत सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का बीमा कराने, कार्मिकों को पहचान कार्ड, यूनीफार्म, हेल्मेट व जूते उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ओबरा प्लांट में आग लगने के कारणों की गम्भीरता से जांच के निर्देश दिये।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : दिनेश कुमार गर्ग